संख्याः 258/16(1)/73–राजस्व–1

प्रेषक,

प्रवीण चन्द्र शर्मा,
राजस्व सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

1.समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
2.समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–1

दिनांक लखनऊ 9 मई,1984

विषयः **गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित, सीलिंग में प्राप्त अन्य सरकारी भूमि के उपयोग की प्राथमिकताओं के निमित्त सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में जमींदारी समाप्ति के बाद खातों के बाहर की भूमि/वस्तुऐं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 की धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन ग्राम सभाओं /स्थानीय प्राधिकारियों में निहित कर दी गयी थी और उक्त अधिनियम की धारा 198 की उपधारा (1) में विहित वरीयताक्रम के अनुसार भूमि के आवंटन का अधिकार भूमि प्रबन्धक समितियों को दे दिया गया था। गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सम्पत्तियां वस्तुतः उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन राज्य सरकार में निहित सम्पत्तियां हैं, जिन्हे प्रबन्ध के लिए गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित किया गया है। अतएव कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिये ग्राम सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में इस प्रकार निहित सम्पत्तियां उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 117 की उपधारा (6) के अधीन किसी भी समय पुनर्ग्रहीत की जा सकती है। पुनर्ग्रहण के बाद भूमि राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में आ जाती है और उसका उपयोग कृषि से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिय किया जा सकता है। इसप्रकार ग्राम सभाओं /स्थानीय प्राधिकारियों में निहित भूमि का उपयोग कृषि तथा उससे भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिये किया जा सकता है। सीलिग में प्राप्त भूमि भी कृषि प्रयोजन के लिये उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 की धारा 27 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जमीदारी विनाश अधिनियम 1950 की धारा 198 की उपधारा (1) में विहित वरीयताक्रम के अनुसार कलेक्टर द्वारा आवंटित की जा सकती है और कृषि से भिन्न प्रयोजनो के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम,1960 की धारा 25 तथा 27(2)के अधीन उपलब्ध करायी जा सकती है। इसी प्रकार अन्य सरकारी भूमि भी कृषि तथा उससे भिन्न प्रयोजनों के लिए गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट 1895 के अधीन पट्टे देकर उपलब्ध करायी जा सकती है।